## HRA Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1722]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 18, 2010/श्रावण 27, 1932

No. 1722]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 18, 2010/SHRAVANA 27, 1932

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2010

का.आ. 2038(अ).—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा 18 अगस्त, 2010 को उस दिन के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 22 के उपबंध [स्पष्टीकरण के खंड (2) में यथापरिभाषित आनुवंशिक रूप से तैयार किए गए अथवा रूपांतरित खाद्य से संबंधित मामलों के सिवाय] प्रभावी होंगे!

[फा. सं. एल. 303 /डीएडीजी/2010] विनीत चौधरी, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 18th August, 2010

S.O. 2038(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Central Government hereby appoints the 18th day of August, 2010 as the day on which the provisions of Section 22 [except in respect of matters relating to the genetically engineered or modified food as explained in clause (2) of the Explanation] of the said Act, shall come into force.

[F. No. L. 303/DADG/2010]

VINEET CHAWDHARY, Jt. Secy.